संख्या–1306/9–9–10–199ज/2006

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 18 जून, 2010

विषयः– नगरीय स्थानीय निकायों की अवस्थापना विकास निधि तथा 12वें/13वें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि की विकास कार्यो के सम्बन्ध में उपयोग हेतु व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–710/9–9–2008–199ज/2006 दिनॉक 27.02.2008 द्वारा अवस्थापना विकास निधि व 12वे वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो पर अनुमोदन/स्वीकृति यथा स्थिति मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के स्तर से किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे। उक्त व्यवस्था को शासनादेश संख्या–268/9–9–2010–153ज/2001 दिनॉक 07मार्च, 2010 द्वारा समाप्त करते हुये प्रश्नगत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो के आगणन/निविदाओं की स्वीकृति एवं विलों के भुगतान हेतु सम्बन्धित निकाय को अधिकृत किया गया था।

2– नगरीय निकायों के प्राविधानित वित्तीय अधिकारों के दृष्टिगत कार्यो के आगणन,व्यय की अनुमति/स्वीकृति प्रदान करने में आने वाली कठिनाइयों एवं विकास कार्यो को समयान्तर्गत पूर्ण करने आदि पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–268/9–9–2010–153ज/2001 दिनॉक 07 मार्च, 2010 की व्यवस्था को रागाप्त करते हुये उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या–710/9–9–2008–199ज/2006 दिनॉक 27.02.2008 द्वारा की गयी व्यवस्था यथावत प्रभावी रहेगी।

भवदीय

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

spgo

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।
2– समस्त महापौर/नगर आयुक्त नगर निगम उत्तर प्रदेश।
3– समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय)।
4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आत्मा राम वर्मा)
अनु सचिव।